भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2629
जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त 2026/ श्रावण 20, 1948 (शक) को दिया जाना है

"जीएसटी के अंतर्गत वाहनों को गलत तरीके से निरुद्ध किया जाना"

2629. **श्री राजिन्द्र गुप्ता:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे मामलों से अवगत है, जिनमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विद्यमान दिशा-निर्देशों के बावजूद, ई-वे बिल में मामूली अथवा लिपिकीय त्रुटियों के कारण वाहनों को निरुद्ध किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान धारा 129 के अंतर्गत पारित निरोध आदेशों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है, साथ ही अपीलीय प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों द्वारा बाद में निरस्त किए गए ऐसे आदेशों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या सरकार तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों हेतु वाहनों के गलत निरोध को रोकने हेतु जवाबदेही सुदृढ़ करने तथा आगे दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): ऐसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

(ख): केंद्रीय कर कार्यालयों द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत जारी किए गए निरोध आदेशों और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपीलीय प्राधिकरणों या न्यायालयों द्वारा बाद में रद्द किए गए ऐसे आदेशों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-1 से 3 के रूप में दिया गया है।

(ग): जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने और तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमियां दिखा कर वाहनों को गलत तरीके से निरुद्ध करने पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) परिपत्र संख्या 41/15/2018-जीएसटी दिनांक 13.04.2018 में माल और वाहनों के अवरोधन, निरीक्षण, निरोध और रिहाई के लिए एक मानकीकृत फॉर्म-आधारित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, ताकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत कार्रवाई में एक प्रलेखित और समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जा सकें। इस प्रक्रिया में वाहन के अवरोधन के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं का विवेकाधिकार समाप्त कर दिया गया है।

(ii) परिपत्र संख्या 64/38/2018-जीएसटी, दिनांक 14.09.2018 विशेष रूप से इसलिए जारी किया गया था कि कागजात संबंधी छोटी-मोटी त्रुटियों के लिए सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 129 के किये जा रहे अंधाधुंध प्रयोग पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जहां चूक कोई वास्तव में लिपिकीय/तकनीकी प्रकृति की है जैसे कि प्रेषक/प्राप्तकर्ता नाम में वर्तनी की गलतियाँ, वाहन संख्या में छोटी त्रुटियाँ, गलत पिन कोड, दस्तावेज़ संख्या के एक या दो अंकों में त्रुटि, या बिल-टू-शिप-टू लेनदेन में दो पतों में से एक का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत प्रत्येक के लिए केवल ₹ 500 का(आईजीएसटी अधिनियम के तहत ₹ 1,000) नाममात्र का जुर्माना लगाया जाना है।

(iii) सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 129 एक स्वतः-पूर्व प्रावधान है जिसमें उल्लिखित धारा के तहत किसी भी उल्लंघन पर जुर्माना लगाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ पालन की जाने वाली समय-सीमा और प्रक्रियाओं का भी उल्लेख है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक (दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिया जाना है)

2023-24		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अंतर्गत जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या	अपीलीय प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों द्वारा ऐसे निरुद्धि आदेशों को निरस्त किए जाने की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
आंध्र प्रदेश	2	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	8	0
बिहार	59	1
चंडीगढ़	0	0
छत्तीसगढ	47	0
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	0
दिल्ली	11	0
गोवा	0	0
गुजरात	25	0
हरियाणा	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	214	2
कर्नाटक	1	0
केरल	0	0
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	24	0
महाराष्ट्र	0	0
मणिपुर	0	0
मेघालय	11	0
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
ओडिशा	0	0
पुदुचेरी	1	0
पंजाब	0	0
राजस्थान	197	0
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	1	0
उत्तर प्रदेश	104	0
उत्तराखंड	0	0
पश्चिम बंगाल	1	0
कुल	**706**	**3**

अनुलग्नक-2

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक (दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिया जाना है)

2024-25		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अंतर्गत जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या	अपीलीय प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों द्वारा ऐसे निरुद्धि आदेशों को निरस्त किए जाने की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	89	0
बिहार	125	0
चंडीगढ़	0	0
छत्तीसगढ	20	0
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	0
दिल्ली	0	0
गोवा	0	0
गुजरात	5	0
हरियाणा	10	0
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	276	0
कर्नाटक	0	0
केरल	0	0
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	27	0
महाराष्ट्र	0	0
मणिपुर	0	0
मेघालय	29	0
मिजोरम	2	0
नागालैंड	0	0
ओडिशा	0	0
पुदुचेरी	0	0
पंजाब	0	0
राजस्थान	219	0
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	7	0
उत्तर प्रदेश	60	0
उत्तराखंड	0	0
पश्चिम बंगाल	31	0
कुल	**900**	**0**

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक (दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिया जाना है)

2025-26		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के अंतर्गत जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या	अपीलीय प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों द्वारा ऐसे निरुद्धि आदेशों को निरस्त किए जाने की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	5	0
बिहार	35	0
चंडीगढ़	0	0
छत्तीसगढ	0	0
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	0
दिल्ली	2	0
गोवा	0	0
गुजरात	5	0
हरियाणा	16	0
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	156	0
कर्नाटक	7	0
केरल	0	0
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	37	0
महाराष्ट्र	1	0
मणिपुर	0	0
मेघालय	10	0
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
ओडिशा	0	0
पुदुचेरी	0	0
पंजाब	1	0
राजस्थान	77	0
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	1	0
उत्तर प्रदेश	63	0
उत्तराखंड	0	0
पश्चिम बंगाल	56	1
कुल	**472**	**1**
